



2026:AHC: 1852-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक अपील संख्या- 3200/2013

ब्रज गोपाल

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलकर्ता(गण) के अधिवक्ता	: नरेश कुमार, राजेश यादव, संत लाल, सुरेन्द्र सिंह
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता	: शासकीय अधिवक्ता

और 1 संबंधित वाद

न्यायालय संख्या-42

माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा

माननीय न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा-I

- 1- अपीलार्थी, इंद्रजीत द्वारा दाखिल अभिरक्षा प्रमाण पत्र अभिलेख पर लिया गया है।
- 2- आपराधिक अपील संख्या 3200 वर्ष 2013 में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह के ब्रीफ होल्डर विद्वान अधिवक्ता श्री अग्नि पाल सिंह को सुना गया। वह जेल अपील संख्या 1051 वर्ष 2013 में न्यायमित्र के रूप में भी उपस्थित हुए। राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को भी सुना गया। हमने अभिलेख का परिशीलन भी किया।
- 3- आपराधिक अपील संख्या 3200 वर्ष 2013 दोषसिद्ध व्यक्ति ब्रज गोपाल द्वारा दायर की गई है और जेल अपील एक अन्य दोषसिद्ध व्यक्ति इंद्रजीत द्वारा अपर सत्र न्यायाधीश-न्यायालय संख्या 8, जनपद इटावा द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 75 वर्ष 2010 (सत्र विचारण संख्या 183 वर्ष 2010) अंतर्गत धारा 308, 304, 376, 452, 352, 324, 323 भा.द.सं. में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 11.12.2012 के विरुद्ध दायर की गई है, जिसके द्वारा अपीलार्थियों को धारा 452 भा.द.सं. के अंतर्गत 7 वर्ष के सश्रम कारावास और प्रत्येक को 1,000/- रुपये के जुर्माने तथा जुर्माना न भरने की स्थिति में छह महीने के अतिरिक्त कारावास; धारा 323/34 भा.द.सं. के अंतर्गत प्रत्येक को 1 वर्ष के सश्रम कारावास; धारा 324/34 भा.द.सं. के अंतर्गत प्रत्येक को 3 वर्ष के सश्रम कारावास; धारा 308/34 भा.द.सं. के अंतर्गत प्रत्येक को 7 वर्ष के सश्रम कारावास; धारा 304/34

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



भाग-1 भा.द.सं. के अंतर्गत प्रत्येक को आजीवन कारावास और 2,000/- रुपये के जुर्माने तथा जुर्माना न भरने की स्थिति में छह महीने के अतिरिक्त कारावास; धारा 376(2)(जी) भा.द.सं. के अंतर्गत प्रत्येक को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 5,000/- रुपये के जुर्माने तथा जुर्माना न भरने की स्थिति में एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास से दोषसिद्ध किया गया है। सभी सजाएँ साथ-साथ चलने का निर्देश दिया गया था।

4- संक्षेप में अभियोजन कथानक, दिनांक 16.03.2010 को दर्ज कराई गई एफ.आई.आर. के अनुसार, यह था कि 15.03.2010 को, कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने बृज किशोर, पीड़िता-पिंकी, पूजा, सुदामा, शरबती और राम कुमार पर राधा, सरसा और ठकोरा (ऐसी वस्तुएं जिन्हें निश्चित रूप से आग्नेयास्त्र नहीं कहा जा सकता और हमले के उद्देश्य से तैयार की गई थीं) से हमला किया था और यह आगे कहा गया है कि पीड़िता पिंकी को दो हमलावरों द्वारा पड़ोसी खेतों में ले जाया गया था। सूचनादाता पीड़िता पिंकी की चीखें आदि सुनकर उसके पास पहुँचा था। हालांकि सूचनादाता ने सूचित किया कि उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया गया था। एफ.आई.आर. दर्ज होने पर, विवेचना शुरू हुई और उसके पश्चात, पुलिस ने न्यायालय के समक्ष आरोप-पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय ने 11.02.2011 को इंद्रजीत, कुंवर बहादुर, श्याम लाल और बृज गोपाल के विरुद्ध आरोप विरचित किए और उसके पश्चात लगभग 14 अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य दर्ज करने तथा द.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत इंद्रजीत और बृज गोपाल के बयान दर्ज करने के बाद, न्यायालय ने अपीलार्थियों, इंद्रजीत और बृज गोपाल को धारा 452 भा.द.सं. के अंतर्गत 7 वर्ष के सश्रम कारावास और प्रत्येक को 1,000/- रुपये के जुर्माने तथा जुर्माना न भरने की स्थिति में छह महीने के अतिरिक्त कारावास; धारा 323/34 भा.द.सं. के अंतर्गत प्रत्येक को 1 वर्ष के सश्रम कारावास; धारा 324/34 भा.द.सं. के अंतर्गत प्रत्येक को 3 वर्ष के सश्रम कारावास; धारा 308/34 भा.द.सं. के अंतर्गत प्रत्येक को 7 वर्ष के सश्रम कारावास; धारा 304/34 भा.द.सं. के अंतर्गत प्रत्येक को आजीवन कारावास और 2,000/- रुपये के जुर्माने से दोषसिद्ध किया और धारा 376(2)(जी) भा.द.सं. के अंतर्गत 10 वर्ष का सश्रम कारावास और प्रत्येक को 5,000/- रुपये का जुर्माना दिया गया। जुर्माना न भरने की स्थिति में, यह प्रावधान किया गया कि वे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतेंगे। सभी सजाएँ साथ-साथ चलने का निर्देश दिया गया था।

5- निर्णय एवं आदेश दिनांक 11.12.2012 से व्यथित होकर वर्तमान आपराधिक अपील दायर की गई थी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6- आज जब अपील पर बहस की जा रही थी, अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि अपीलार्थी धारा 452, 323 भा.द.सं. सपठित धारा 34 भा.द.सं., धारा 324 सपठित धारा 34 भा.द.सं., धारा 308 भा.द.सं. सपठित धारा 34 भा.द.सं. और धारा 376(2)(जी) भा.द.सं. के संबंध में सजा पहले ही भुगत चुके हैं। धारा 304 भाग I भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध के संबंध में, अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि धारा 304 भाग I भा.द.सं. के अंतर्गत कोई अपराध नहीं बनता था क्योंकि अभियोजन द्वारा ऐसा कोई ठोस साक्ष्य नहीं दिया गया था, जो निर्णायक रूप से यह सिद्ध करे कि धारा 304 भाग I भा.द.सं. के अंतर्गत कोई अपराध बनता था। अतः, उन्होंने निवेदन किया कि धारा 304 भाग I भा.द.सं. के संबंध में अपीलार्थियों को दोषमुक्त किया जाए।

7- अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान ए.जी.ए. ने सूचित किया है कि अपीलार्थी दिनांक 23.12.2025 तक लगभग 15 वर्ष, 8 माह और 14 दिन की सजा पहले ही भुगत चुके हैं।

8- विद्वान ए.जी.ए. ने अपील का विरोध किया है और तर्क प्रस्तुत किया है कि अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों के मात्र परिशीलन से पता चलता है कि निश्चित रूप से धारा 304 भाग I भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध बनता था और अभिलेख पर चक्षुदर्शी साक्ष्य उपलब्ध था, जहाँ बयान यह स्थापित करते हैं कि अपीलार्थी प्रश्नगत घटना में संलिप्त थे।

9- अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान ए.जी.ए. को सुनने के बाद, हमारा यह विचार है कि धारा 304 भाग I भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध निश्चित रूप से बनता था और धारा 304 भाग I भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध के संबंध में निर्णय में हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं थी। हालांकि, न्यायालय इस बात पर विचार करता है कि चूंकि अपीलार्थी दिनांक 23.12.2025 तक लगभग 15 वर्ष, 8 माह और 14 दिन का कारावास भुगत चुके हैं, इसलिए दण्डादेश को उस कारावास तक कम किया जा सकता है, जो अपीलार्थियों द्वारा पहले ही भुगता जा चुका है।

10- अतः उपरोक्त के दृष्टिगत, न्यायालय का यह विचार है कि भले ही दोषसिद्धि बरकरार रहे, दण्डादेश को उस अवधि तक कम किया जा रहा है, जिसके लिए अपीलार्थी पहले ही कारावास भुगत चुके हैं।

11- इस प्रकार, अपीलार्थी **ब्रज गोपाल और इंद्रजीत** को अब रिहा किया जा सकता है, यदि वे किसी अन्य प्रकरण में वांछित नहीं हैं। इस प्रकार, अपील ऊपर बताए गए विस्तार तक **आंशिक रूप से स्वीकार** की जाती है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12- विद्वान न्यायमित्र श्री सुरेन्द्र सिंह को उनके द्वारा प्रदान की गई सहायता के लिए व्यावसायिक शुल्क के रूप में 25,000/- रुपये का भुगतान किया जाए। महानिबंधक भुगतान की निगरानी करेंगे।

(न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा-I) (न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा)

6 जनवरी, 2026

ए. मंधानी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।